संख्या - 008/सी.आर.डी/013
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए,
नई दिल्ली-110023
दिनांक: 13.08.2010

परिपत्र संख्या 31/08/10

विषय: सत्यनिष्ठा सन्धि अंगीकरण - मानक प्रचालन प्रक्रिया के संबंध में ।

आयोग ने दिनांक 18.05.2009 के अपने परिपत्र सं0 10/5/09 द्वारा मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में सत्यनिष्ठा सन्धि के कार्यान्वयन के लिए "मानक प्रचालन प्रक्रिया" पर दिशानिर्देश जारी किए हैं । मानक प्रचालन प्रक्रिया की धारा 6.02 में वित्तीय प्रभाव पुनरीक्षण स्वतंत्र एजेन्सी के माध्यम से तथा वस्तुगत पुनरीक्षण गैर-सरकारी संगठन के माध्यम से कराने का प्रावधान है ।

2. आयोग ने मानक प्रचालन प्रक्रिया के पैरा 6.02 में समाविष्ट प्रावधानों का पुनरीक्षण किया है तथा यह दृष्टिकोण लिया है कि संगठन में सत्यनिष्ठा सन्धि के कार्यान्वयन के प्रभाव पर पृथक मूल्यांकन करना कठिन होगा तथा इसलिए उक्त परिपत्र की धारा 6.02 (i) तथा 6.02 (ii) को हटाने का निर्णय लिया गया है । सत्यनिष्ठा सन्धि का कार्यान्वयन कर रहे सभी संगठन तथापि, सत्यनिष्ठा सन्धि के कार्यान्वयन का एक सामान्य पुनरीक्षण तथा मूल्यांकन करेंगे तथा मुख्य सतर्कता अधिकारियों की मासिक रिपोर्ट के माध्यम से आयोग को प्रगति सूचना प्रस्तुत करेंगे ।

ह0/-
(विनीत माथुर)
निदेशक

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी